

07/01/25

वकील पार्टी व राजपेंरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कंपनी प्लीडिंग में पड़ोसियों द्वारा सीव लाइट विवाद करना व भंगडा करना अंकित किया गया है। लेकिन फिलीजी की सीव को कार्रवार स्वतंत्र को अर्थात् संयोजित नहीं किया गया है। केवल लैंड होल्डर व हसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। सीव जोड कार्रवार। स्वतंत्र को पार्टी नहीं बनाने से जर्जना-पत्र में पक्षकारों (भावूपक पक्षकारों) का असंयोजक है।

अतः पक्षकारों का असंयोजन होने से यह जर्जना-पत्र इसी स्तर पर स्थानित किया जाता है। पार्टी चाहे तो उचित पक्षकार संयोजित कर सूक्ष्म स्तर पर चार्जोर्ड कर सकता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली नियम में शुमार की जगह नम्बर से कम हो तथा तारीख तकमिल होकर पाखिल नम्बर हो।

Legend